न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 15/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री जसवन्त सिंह, वरिष्ठ सहायक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, पाली, जिला पाली		**जिला कलेक्टर पाली**

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर पाली कमांकः प.1(16)( )संस्था./2021–22/2489 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रार्थी की तीन वेतन वृद्धि संचयी (Cumulative) प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 17 .04.2023

यह अपील श्री जसवन्त सिंह, वरिष्ठ सहायक, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पाली, जिला ने जिला कलेक्टर पाली के आदेश कमांकः प.1(16)( )संस्था./2021–22/2489 दिनांक 29.08.2022 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत्त रहते हुए कार्यालय पत्रांकः न्याय/2020/435 द्वारा जिला कलेक्टर पाली को प्रेषित रिपोर्ट में फेरबदल करने तथा उच्चाधिकारियों को गुमराह करने से विद्वान जिला कलेक्टर पाली ने अपने आदेश कमांक 3877 दिनांक 11.12.21 के द्वारा अपीलाण्ट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, मुख्यालय परिवर्तित किया गया। तदउपरांत अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप सं0 1 एवं 4 प्रमाणित होना मानते हुए उसकी तीन वेतन वृद्धि संचयी (Cumulative) प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकएफ.1(17)( )संस्था./2022/278 दिनांक

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

07.02.2022 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोपों का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

आप श्री जसवन्त सिंह, उपखण्ड कार्यालय पाली में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत्त रहते हुए आपके कार्यालय के पत्रांकः न्याय/2020/435 द्वारा अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रेषित रिपोर्ट में फेरबदल करने का कृत्य किया गया तथा उच्चाधिकारियों को गुमराह किया गया। आपने जानबूझ कर नियमों के विरूद्ध कृत्य किया है।

आरोप संख्या 2–

उपखण्ड अधिकारी पाली के संज्ञान में लाया गया है कि आप द्वारा संपरिवर्तन पत्रावली में आवेदक का कार्य करने के संबंध में रूपयों की मांग की जाती है। इसमें आप द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है।

आरोप संख्या 3–

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के दौरान आपने उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा समय समय पर दिये गए दिशा निर्देशों की अवहेलना की है। जिसके कारण शिविर का कार्य बाधित हुआ एवं शिविर की प्रभावशीलता कम हुई है। इसमें आपके पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रकट होती है।

आरोप संख्या 4–

आप बिना किसी सूचना/अनुमति के बार–बार कार्यालय समय में कार्यस्थल से अनुपस्थित रहते है तथा उक्त संबंध में आप द्वारा कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर नही दिया गया। यह कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं घोर उदासीनता का द्योतक है।

इस प्रकार आप द्वारा किए गये उपरोक्त कृत्यों के लिए आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहरते है जो राजस्थान सिविल सेवांए (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दण्डनीय है।

अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 15.03.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें आरोपवार मुख्यतः यह आग्रह किया गया :–

जवाब आरोप संख्या 1–

आरोप अस्वीकार है, प्रार्थी द्वारा कथित रिपोर्ट में स्वयं की इच्छा से कोई फेरबदल नही किया गया।

जवाब आरोप संख्या 2–

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आरोप अस्वीकार है, उक्त आरोप में संपरिवर्तन पत्रावली में आवेदक का कार्य करने के संबंध में रूपयों की मांग करने का आरोप मन घडंत रूप से लगाया गया है। जो प्रमाणित नही माना जा सकता है। आरोप में किसी भी घटना/व्यक्ति का नाम एवं तिथि अंकित नही होने से आरोप स्वीकाय योग्य नही है।

जवाब आरोप सं0 3–

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के दौरान दिये गये समस्त आदेश–निर्देशों की प्रार्थी द्वारा पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की गई। आरोप में लापरवाही बरतने का कोई Specific (विशिष्ठ) तथ्य अंकित नही होने से आरोप स्वीकार योग्य नही है।

जवाब आरोप संख्या 4–

गत प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान प्रार्थी संपूर्ण अवधि में व्यक्तिशः उपस्थित रहकर अभियान में प्राप्त हुए आवेदन पत्र, परिवाद पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के निर्देश/आदेश की अनुपालना में इनके निस्तारण हेतु पूर्ण मनोयोग से कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। ग्राम पंचायत खैरवा में आयोजित शिविर में प्रार्थी द्वारा पूर्ण समयावधि में उपस्थित रहकर कार्य संपादित किया गया। प्रार्थी लघुशंका होने की वजह से वाशरूम गया था इसी दौरान उपखण्ड अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर क्षणिक समय के लिए अनुपस्थित रहा। उक्त आरोप स्वीकार योग्य नही है। अतः उसके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह किया गया।

तत्पश्चात जिला कलेक्टर पाली के आदेश कमांकः एफ.1(17)( )संस्था./2021/705 दिनांक 01.04.2022 द्वारा प्रकरण में जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी–उप जिला कलेक्टर पाली (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा प्रकरण में बाद जांच अपने पत्र कमांकः 300 दिनांक 29.04.2022 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जिसमें मुख्यतः यह अवगत कराया गया कि अपचारी कार्मिक पर लगाये गये आरोप संख्या 02 एवं 03 अप्रमाणित तथा आरोप संख्या 01 वं 04 प्रमाणित पाये गये है। तत्पश्चात जिला कलेक्टर पाली द्वारा आरोपी कार्मिक की दिनांक 25.07.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई कर, उसकी तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकते हुए उसे निलंबन से बहाल कर, निलंबन अवधि के शेष वेतन एवं भत्तों का नियमानुसार भुगतान करने संबंधी अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2022 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आरोप सं0 1 के संदर्भ में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उसके द्वारा कारित रेकर्ड में फेरबदल की

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

घटना, कार्य की अधिकतावश हडबडाहट में घटित हुई, इससे संपरिवर्तन आदेश के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई प्रभाव नही पडता है। एक डिलिंग कलर्क की हैसियत से उसके द्वारा उक्त फेरबदल का अंकन सद्भाविक रूप से कार्यालय प्रति में भी किया गया है, अतः उक्त कार्यवाही किसी स्वार्थवश एवं गुमराह जनक नही है। इन्होने जिला मजिस्ट्रेट पाली द्वारा जिले के सभी उपखण्ड अधिकारीगण को प्रेषित पत्र कमांकः एफ.21(10)( )न्याय/2020/4945–54 दिनांक 10.03.2021 के संलग्न केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी आफिस मेमोरेन्डम कमांक 10802–847 दिनांक 07.01.2020 की प्रति प्रस्तुत कर आग्रह किया कि उक्त ज्ञापन के तहत जिलों में पेट्रोल कम्पनीयों द्वारा नये रिटेल ऑउटलेट स्थापित करने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश/गाईडलाईन जारी की गई है :–

H- Siting criteria of Retail Outlets :

In case of siting criteria for petrol pumps new Retail Outlets shall not be located within a radial distance of 50 meters (From fill point/dispensing units/vent pipe whichever is nearest) from schools, hospitals (10 beds and above) and residential areas designated as per local laws. In case of constraints in Providing 50 meters distance, the retail outlet shall implement safety measures as prescribed by PESO. In no case the distance between new retail outlet from schools, hospitals (10 beds and above) and residential area designated as per local laws shall be less than 30 meters. No high tension line shall pass over the retail outlet.

जबकि संपरिवर्तन (पेट्रोल पम्प) हेतु ग्राम गुन्दोज द्वितीय के प्रस्तावित खसरा नं0 1140 से 200 फुट की दूरी पर खसरा नं0 1137 में विद्यालय संचालित है। इसी प्रकार आरोप सं0 4 के संदर्भ में श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत जवाब को दौहराते हुए प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2021 को ग्रा0पं0 खैरवा में आयोजित शिविर में लघुशंका वश क्षणिक अनुपस्थिति तक ही स्वीाकर योग्य होना बताते हुए आरोपित दण्ड से मुक्त कराने का आग्रह किया गया।

प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार ने प्रकरण में जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 2489 दिनांक 29.08.2022 को विधि अनुकूल होना बताते हुए उक्त अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उक्त अपील प्रकरण में जिला कलेक्टर पाली के पत्रांकः प.1(17)( )संस्था./2021–22/4820 दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाण्ट के विरूद्ध आरोपित आरोप संख्या 01 प्रमाणित एवं आरोपी द्वारा स्वीकारोक्त है। किंतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस मेमोरेण्डम

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

दिनांक 07.01.2020 के अनुसार पेट्रोल कम्पनीयों द्वारा नये रिटेल ऑउटलेट स्थापित करने के के संबंध में स्कूल, अस्पताल एवं आवासीय क्षेत्रो के रेडियल की दूरी 50 मीटर अनुज्ञेय है, इससे आरोपी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13.03.2020 में फेरबदल संपरिवर्तन हेतु प्रभावी होना प्रतीत नही है। आरोप सं0 2 व 3 अप्रमाणित होने के संदर्भ में जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वयं जिला कलेक्टर पाली सहमत है। आरोप संख्या 4 में आरोपी के अनुपस्थित रहने की तिथी आदि का उल्लेख नही किया गया है, तथापि जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट में उल्लेखित दिनांक 10.11.2021 को कार्मिक के शिविर स्थल से 4–5 घंटे अनुपस्थित रहने के संदर्भ में आरोपी के विरूद्ध की गई रेकर्डेड कार्यवाही–नोटिस इत्यादि पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः इस प्रकरण में आरोपी कार्मिक के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही तो उचित है, किंतु अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप सं0 2 व 3 अप्रमाणित है तथा आरोप सं0 4 के संदर्भ में रेकर्डेड कार्यवाही पत्रावली में उपलब्ध नही है।

अतः उपरोक्त स्थिति में विद्वान जिला कलेक्टर पाली द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध नियम 16 सीसीए की कार्यवाही के अन्तर्गत पारित अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की तीन वेतन वृद्धियां संचयी (Cumulative) प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाना, आनुपातिक दृष्टि से अधिक होना प्रतीत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2489 दिनांक 29.08.2022 को निरस्त करते हुए "आरोपी की तीन वेतन वृद्धि संचयी (Commulative) प्रभाव से रोकने" के स्थान पर "आरोपी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने" की दण्डाज्ञा पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17 अप्रेल, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

17/4/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर